ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 ई0 वाद सं0–07 / 2018–19

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
26.06.24	**आदेश** प्रस्तुत आर0 ई0 वाद सं0–07 / 2018–19 (बास्की राउत–बनाम–क्यूम मियां एवं अन्य) आवेदक–बास्की राउत, पिता–स्व० बिष्णु राउत, साकिन–सालजोर, अंचल–पालोजोरी, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–चकतरना, थाना नम्बर–315, जमाबंदी नं0–02, दाग न0–72, अंश रकवा–29 डी0 जमीन से विपक्षी–क्यूम मियां, पिता–स्व0 रामजन मियां, जफरूद्दीन मियां, मो0 आरीफ, सफरूद्दीन मियां पिता–क्यूम मियां को उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। 02. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, पालोजोरी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पालोजोरी के पत्रांक–149 / रा0, दिनांक–25.03.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. अंचल अधिकारी, पालोजोरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चकतरना, थाना नम्बर–315, जमाबंदी नं0–02 सर्वे पर्चा में ठाकुर राउत वो वंशी राउत वो बुधन राउत पेशरान जानकी राउत सा0–देह कहकर दर्ज है। बास्की राउत, पिता–विशन राउत के द्वारा उक्त मौजा के जमाबंदी नं0–02 दाग न0–72, रकवा–57 डी0 में से अंश रकवा–28 डी0 जमीन पूरब की ओर से द्वितीय पक्ष क्यूम मिया, पिता–स्व0 रमजान मियां को बदलेन स्वरूप दिया गया है एवं क्यूम मिया, पिता–स्व0 रमजान मियां ने अपनी जमाबंदी नं0–06 दाग न0–49, रकवा–13 डी0 एवं दाग न0–69, रकवा–12 डी0 जमीन बदलेन स्वरूप बास्की राउत को दिया है, जिसे अनुमण्डल पदधिकारी, मधुपुर के आर0 एम0 वाद सं0–84 / 2002–03 द्वारा दिनांक–03.06.2003 को बसगढ़ी भी किया गया है। 04. उभय पक्षों को सुना, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच में उक्त भूमि का विधिवत् बदलेन हुआ है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी संबंधी कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धित** 26/06/24 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर। 26/06/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	Seen 9/7/24

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.07.13 13:40:50 +05:30
Location: 192.168.29.15